न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 192/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रामाराम पुत्र वेहनाराम 2. कुम्भाराम पुत्र वेहनाराम 3. चीमूदेवी पत्नी वेहनाराम निवासी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी, बाड़मेर		1. गलाराम पुत्र कलाराम 2. गीगाराम पत्रु कलाराम 3. दानाराम पुत्र बेसराराम 4. वेहनाराम पुत्र बेसराराम 5. जालाराम पुत्र अमराराम 6. केहराराम पुत्र अमराराम 7. भेराराम पुत्र जालाराम 8. कलाराम पुत्र पुरखाराम 9. दूदाराम पुत्र पुरखाराम 10. दुर्गाराम पुत्र पुरखाराम 11. मोतीराम पुत्र पुरखाराम 12. मुफतलाल पुत्र मिश्राराम 13. ओमप्रकाश पुत्र मिश्राराम 14. हरखारा पुत्र मिश्राराम 15. भंवराराम पुत्र मिश्राराम 16. पेमाराम पुत्र मिश्राराम निवासी पायलां कलां, सिणधरी, बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण [illegible] उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 20.10.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा कागों की ढाणी, पटवार हल्का पायलां कला, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 580/419 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

9627 हैक्टेयर व खसरा संख्या 583/423 रकबा 5.9165 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत का बंटवाड़ा जरिये दावा करवाया गया, परन्तु सही रूप से सेढ़ो का निर्धारण होना है। कि खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा कागों की ढाणी, पटवार हल्का पायलां कला, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 580/419 रकबा 0.9627 हैक्टेयर व खसरा संख्या 583/423 रकबा 5.9165 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा राजस्व कागों की ढाणी, पटवार हल्का पायलां कला, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 580/419 रकबा 0.9627 हैक्टेयर व खसरा संख्या 583/423 रकबा 5.9165 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत का बंटवाड़ा जरिये दावा करवाया गया, परन्तु सही रूप से सेढ़ो का निर्धारण होना है। कि खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा कागों की ढाणी, पटवार हल्का पायलां कला, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 580/419 रकबा 0.9627 हैक्टेयर व खसरा संख्या 583/423 रकबा 5.9165 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा कागों की [illegible] हल्का पायलां कला, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 580/419 रकबा 0.9627 हैक्टेयर व खस[illegible]/423 रकबा 5.9165 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पटवारी के संलग्न [illegible] जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने [illegible] है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अ[illegible] भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नौटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5.लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा कागों की ढाणी, पटवार हल्का पायलां कला, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 580/419 रकबा 0.9627 हैक्टेयर व खसरा संख्या 583/423 रकबा 5.9165 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.10.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:26 IST
Reason: SelfAttested